

**कार्यालय - नज़ारत अनुभाग, वाह्य दीवानी अपर सत्र न्यायालय मोहम्मदी-खीरी।**

**इशतहार**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अहाता वाह्य दीवानी अपर सत्र न्यायालय मोहम्मदी जिला लखीमपुर-खीरी के प्रांगण में स्थित कैटीन(एक कमरा) वाहन मोटरसाइकिल व साइकिल रटैण्ड, फोटो स्टेट(एक दुकान शटरदार), रटेशनरी/फोटोग्राफी (एक दुकान शटरदार) के प्रत्येक एक दुकान के ठेके हेतु वर्ष 2026-27 के लिए अलग-अलग ठेकों की नीलागी दिनांक 31.03.2026 को वाह्य दीवानी अपर सत्र न्यायालय मोहम्मदी जिला लखीमपुर-खीरी के प्रांगण में अपरान्ह 4.30 बजे से की जायेगी।

अतएव जिस किरसी को उक्त ठेकों की नीलागी हेतु बोली बोलना हो, वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के उपरान्त बोली बोल सकता है।

1- स्थायी आवास प्रमाण पत्र

2- फोटो आइ.डी.

3- दो फोटो किरसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं हैसियत प्रमाण पत्र

4- कैटीन, वाहन रटैण्ड, फोटो स्टेट व रटेशनरी, फोटोग्राफर के प्रत्येक एक दुकान आदि की बोली बोलने वाले को बतौर काशनगनी रुपया 10,000/ बोली बोलने के पूर्व उपनाजिर के पास टेण्डर द्वारा नकद जमा करानी होगी। बोली बोलते समय नकद धनराशि काशनगनी के रूप में रबीकार नहीं की जायेगी। यदि बोली बोलने वाला व्यक्ति इस जजी में पूर्व का ठेकेदार है तो उसे दिनांक 31.03.2026 तक उप नाजिर द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करके दाखिल करना होगा।

5- जिस व्यक्ति के ठेके की बोली नीलागी अधिकारी द्वारा स्वीकृत करते हुए समाप्त की जायेगी, उसे अपनी बोली के समाप्त होने के तुरन्त बाद अपनी बोली का 1/4 भाग नकद तुरन्त उपनाजिर के पास जमा कराना होगा।

6- जो ठेके मु० 10,000/-रुपये तक की बोली में समाप्त होगे, उन ठेकों की पूरी रकम ठेके की नीलागी समाप्त होने के तुरन्त बाद सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उप-नाजिर के पास जमा करानी होगी।

7- जो ठेके मु० 10,000/-रु० से अधिक में दिये जायेगे, उन ठेकेदारों को अपनी बोली का 1/4 भाग तुरन्त तथा 1/4 भाग जून, 2026 तक व 1/4 भाग सितम्बर, 2026 तक एवं शेष 1/4 भाग दिसम्बर, 2026 तक जमा कराना अनिवार्य होगा।

8- किरसी भी ठेके की नीलागी की अधिकतम बोली तब तक अतिम नहीं समझी जायेगी, जब तक कि उसे माननीय जिला न्यायाधीश खीरी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाये। माननीय जिला न्यायाधीश खीरी को यह अधिकार होगा कि किरसी भी ठेके को अधिकतम बोली बिना कोई कारण बताये रबीकार न करे तथा कम बोली अपनी बोली इच्छा विवेक से रबीकार कर लेवे।

9- ठेकेदारों द्वारा जो काशनगनी जमा की जायेगी उसे ठेके की अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस किया जायेगा तथा उसे सामायोजित नहीं किया जायेगा। यदि कोई ठेकेदार धारा 7 की शर्तों के अनुसार धनराशि समय से नहीं जमा करता है तो जिला न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह काशनगनी को जवाब देकर ठेका निरस्त कर दे।

10- जिन खाद्य पदार्थों की विक्री के लिए लाइसेंस की जरूरत है, उनके ठेकेदारों को नगरपालिका या स्थानीय स्वारथ्य प्राधिकारी से या सम्बन्धित विभाग से उन पदार्थों की विक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

11- प्रत्येक ठेकेदार अपनी ठेकेदारी का कार्य स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि या नौकरों के माध्यम से संचालित करायेगा। ठेके का किरसी व्यक्ति के नाम स्थानान्तरण नहीं करेगा और न ही किरसी को शिकगी किरायेदारी पर देगा, यदि कोई ऐसा करतो पाया गया तो जिला न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह ठेके को निरस्त कर ठेके की धनराशि को जब्त कर लेवे।

12- सभी खाद्य पदार्थों के ठेकेदारी को अपनी दुकान पर विक्री हेतु सामानों की सूची तथा मूल का विवरण टांगना अनिवार्य होगा। सभी खाद्य पदार्थों का मूल व गुणवत्ता स्थानीय बाजार के भाव के अनुरूप होगा। खाद्य पदार्थों के मूल्यों का निर्धारण प्रगारी अधिकारी नज़ारत द्वारा किया जायेगा। सभी खाद्य पदार्थों को जाली से ढककर रखना अनिवार्य होगा।

13- सभी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं कीमत की आकरिमक जाँच समय-समय पर प्रगारी अधिकारी नज़ारत, माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा नागित किरसी अन्य अधिकारी, कर्मचारी द्वारा की जा सकती है तथा उनके द्वारा समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जाता रहेगा।

14- किरसी भी ठेकेदार को अपने ठेके के स्थान पर दीवानी न्यायालय के प्रांगण के कोई स्थायी/अस्थायी निर्माण का अधिकार नहीं होगा तथा उन्हें दिनांक 31.03.2027 की राय 5 बजे तक दीवानी न्यायालय प्रांगण से अपनी दुकान आदि अन्य सामान हटा लेना होगा।

15- साइकिल रटैण्ड के ठेकेदार प्रत्येक व्यक्ति को जो उनके रटैण्ड पर साइकिल, मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं उसी दिन के दो टोकन जारी करेंगे, जिसमें एक टॉकन सम्बन्धित वाहन पर लगाया जायेगा तथा दूसरा टोकन उसी नम्बर का सम्बन्धित व्यक्ति को दिया जायेगा। सभी सम्बन्धित कोई भी वाहन के खो जाने पर सम्बन्धित ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। ठेकेदार को रटैण्ड के चारों ओर कांटेदार तार या बाँस का बड़ा बाड़ा बनवाकर रखना होगा। सम्बन्धित वाहन उस बाड़े व कांटेदार तार का बाड़ा बनाकर सम्बन्धित वाहन उस बाड़े के अन्दर ही रखे जा सकेंगे। सभी दैनिक मारिक रटाफ हेतु तथा वाहरी व्यक्ति हेतु जो दरें हैं, साफ-साफ शब्दों में रटैण्ड के बाहर लिखकर टांगना अनिवार्य होगा।

16- जिन ठेकेदारों का टेण्डर स्वीकृत होगा, उन ठेकेदारों का स्वीकृति के दिन से 15 दिन के अन्दर वर्ष 2026-27 के लिए दिए गये ठेकों का ठेकानामा निर्धारित स्टाम्प पर माननीय जिला जज खीरी के निर्देशानुसार तहरीरी करना होगा। और इस ठेकानामा तहरीर करने का खर्चा सम्बन्धित ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।

17- ठेकेदार के दैवीय आपदा हडताल आदि में दुकान बन्द होने पर उसको किरसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जा सकती। दिनांक 26.03.2026

(रजत प्रकाश सोन)  
रादरय, ठेका नीलागी समिति/  
अपर सिविल जज(जू०डि०),  
मोहम्मदी-खीरी।


*Muhammad*  
रादरय, ठेका नीलागी समिति/  
सिविल जज(सी०डि०),  
मोहम्मदी-खीरी।

*Amir*  
अध्यक्ष, ठेका नीलागी समिति/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
मोहम्मदी-खीरी।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषितः—

- 1--नोटिस बोर्ड बाह्य न्यायालय परिसर, मोहम्मदी,
- 2--नोटिस बोर्ड तहसील परिसर, मोहम्मदी,
- 3--नोटिस बोर्ड नगरपालिका परिषद, मोहम्मदी,
- 4--नोटिस बोर्ड ब्लाक, मोहम्मदी,
- 5--नोटिस बोर्ड बस स्टैंड, मोहम्मदी,
- 6--नोटिस बोर्ड वार एसोसिएशन, मोहम्मदी,
- 7--नोटिस बोर्ड सिविल वार एसोसिएशन, मोहम्मदी,

आज्ञा से,

अध्यक्ष  26/3/2026  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
मोहम्मदी, खीरी।

26.03.2026